फर्द अहकाम

(नियम 13)

[General Rules (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91]

अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम : खानपुर जिला झालावाड़

मोजीराम बनाम हकलाबाई वगै.

मुकदमा इजराय नम्बर 25 सन् 2025

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4.8.25 वकील श्री भूपेन्द्र सिंह हाडा ने इजराय पेश की / पर्ची रजिस्टर किया जाकर मुताबिक डिक्री पालना हेतु तहसीलदार खानपुर को लिखा जावे / पत्रावली दिनांक 4.9.25 को पेश हो /	
29.1.26 पत्रावली पालना प्राप्त होने पर पेश हुई / SDO खानपुर से इजराय की पालना में पत्रावली हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम कन्जेड में नामान्तरण नं. 334 दर्ज कर दि. 25/1/25 को प्रमाणित किया जा चुका है / इजराय की पालना होने से कार्यवाही होप की जाती है / पत्रावली [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो /	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajat Kumar Vijayvargiya
Date: 2026.02.05 12:56:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (झालावाड़)